पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
छठवॉ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14–अशोक मार्ग, लखनऊ।

दूरभाष : 0522–2288656 cehydelpcl@gmail.com फैक्स : 0522–2288655

संख्या : /अ–2/मु0अ0(ज0वि0) दिनांक / /2015

कार्यालय ज्ञापन

उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्ष अधिनियम. 1994 की धारा–3(7) तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक वरिष्ठता (तृतीय संशोधन) अधिनियम–2007 द्वारा निवि नियम–8(क) को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनॉक 27–04–2012 में ultra vires घोषित किये ज के फलस्वरूप उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–8/4/1/2002 टी0सी0–1–का–2015, दिनॉक 21–08–2015 अनुकम में निर्गत कारपोरेशन आदेश संख्या–60–विनियम एवं काविनी/पाकालि, दिनॉक 21–08–2015 में निहि प्राविधानों के दृष्टिगत, उक्त आरक्षण की धारा–3(7) का लाभ प्राप्त कर पूर्व में अवर अभियन्ता (सा0श्रे0), विद्युत यॉत्रिक के पद पर प्रोन्नति पाये टी0जी0–2/टी0जी0–2(ला0)/ टी0जी0–1/एस0एस0ओ0 को इस कार्यालय ज्ञापन संख्या–1430–अ–2/मु0अ0(ज0वि0), दिनॉक 08–09–2015 द्वारा भूतलक्षीय प्रभाव से टी0जी0–2 टी0जी0–2(ला0)/टी0जी0–1/एस0एस0ओ0 के पद पर पदावनत कर दिया गया है। तत्कम में उन्हें स्तम्भ–6 उल्लिखित तिथि से अवर अभियन्ता (सा0श्रे0), विद्युत एवं यॉत्रिक के पद पर चयनित मानते हुए प्रोन्नत एवं पुर्नस्थापि किया जाता है। यह भी आदेशित किया जाता है कि इन अवर अभियन्ताओं की ज्येष्ठता वर्ष 2013 में चयनित सामा वर्ग के अन्तिम अवर अभियन्ता के ठीक नीचे पुनर्सज्जित होगी।

क0 सं0	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	3(7) का लाभ समाप्त करने के फलस्वरूप पदावनति के उपरान्त धारित पद का नाम	दिनॉक 20.06.2013 से धारित पद का नाम
1	2 सर्वश्री.........	3 सर्वश्री.........	4	5	6
1	अशोक कुमार	फेंकन राम	**15.03.1970**	टी0जी0–।।	अवर अभियन्ता

पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारण नियमानुसार किया जायेगा।

मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत)

संख्या: 1822 अ–2/तद्दिनॉक 30-10-2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/दक्षिणॉचल/पश्चिमॉचल/मध्यॉचल वि0वि0नि0लि0, वाराणसी/आगरा/मेरठ/ लखनऊ/केस्को, कानपुर/ट्रास्कों को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अवर अभियन्ताओं की तैनाती उनकी पदावनति से पूर्व की तैनाती के डिस्काम/ट्रास्कों के स्तर से स्थानान्तरण नीति 2015 के अनुसार क जायेगी।
3. मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र, पूर्वान्चल वि0ति0नि0लि0, गोरखपुर।
4. सचिव, विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता (यूनीफाइड), शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह उपरोक्त आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर शीध्र अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(बसन्त राम)
वैयक्तिक सहायक(षष्ठम)
कृते मुख्य अभियन्ता(जल–विद्युत)